ग्राम पंचायत नथान, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018

भाग–एक

1 **(क) प्रस्तावनाः–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C(15) LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नथान, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधानव सचिव कार्यरत थेः–

1 प्रधान

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती निर्मला देवी	1.4.2015 से 22.1.16 तक
2	श्री भगत राम	23.1.16 से 31.3.18 तक

2 सचिव

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री अमर सिंह	1.4.2015 से 21.11.16 तक
2	श्री नरेन्द्र कुमार	22.11.16 से 31.3.18 तक

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	अनुदान राशि का उपयोग न करना	6	40.03
2	गृहकर की वसूली शेष	7 (क)	0.67
3	मोबाईल टावर शुल्क वसूली शेष	8	0.49
4	औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	13	0.51
5	क्रय निर्माण सामग्री को स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	14	0.59

भाग—2

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत नथान, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक श्री अजीत सिंह, सहायक नियन्त्रक द्वारा ग्राम पंचायत नथान में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु चयनित मासों का विवरण निम्नलिखित हैः—

1 स्वयं स्त्रोतों से प्राप्त निधि

वर्ष	आय	व्यय
2015—16	8/2015	8/2015
2016—17	8/2016	6/2016
2017—18	8/2017	8/2017

2 14वें वित्तायोग निधि

वर्ष	आय	व्यय
2015—16	8/2016	—
2016—17	8/2016	3/2017
2017—18	9/2016	5/2017

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाये गये अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत उपलब्ध करवाये जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत नथान के लेखों के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन ₹6000 किया गया जिसे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72 दिनांक 2.8.2018 के

द्वारा प्रधान/सचिव से अंकेक्षण शुल्क की राशि के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, के नाम प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्वयं स्त्रोत निधिः–

ग्राम पंचायत नथान के स्वयं स्त्रोत निधि लेखाओं की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक, वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया हैः–

वित्त वर्ष	अथशेष	आय	कल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2015–16	2285158.62	3458865	5744023.62	2737805	3006218.62
2016–17	3006218.62	3153982	6160200.62	4571510	1588690.62
2017–18	1588690.62	2028490	3617180.62	1836884	1780296.62

(ख) 14वाँ वित्तायोग निधिः–

ग्राम पंचायत नथान के 14वें वित्तायोग निधि की अवधि 1.4.2015 से 31.3.2018 तक की वित्तीय स्थिति जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है, निम्न प्रकार से थीः–

वित्त वर्ष	अथशेष	आय	कल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2015–16	0	1268501	1268501	–	1268501
2016–17	1268501	1796655	3065156	120245	2944911
2017–18	2944911	2289054	5233965	2121251	3112714

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना परिणामस्वरूप रोकड़ बही के अन्तशेष व बैंक में जमा क अन्तशेष में ₹0.22 लाख का अन्तरः–

ग्राम पंचायत नथान की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) तथा 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में प्रत्येक माह के अन्त में रोकड़ बही का मिलान बैंक

खातों से करके बैंक समाधान विवरणी बनाई/तैयार की जानी सुनिश्वित करें। उपरोक्त के अतिरिक्त **परिशिष्ट "क"** में बैंक खातों व रोकड़ बही में दर्शाये गये कुल अन्तर ₹22479.46 (₹1802776.08–₹1780296.62) का समाधान यथाशीघ्र करके कृत कार्यवाही की अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

दिनाँक 31.3.2018 को विभिन्न निधियों में जमा राशियों के बैंक खातों के अनुसार शेष निम्न प्रकार से थेः–

(1) स्वयं स्त्रोत व विकास निधि

बैंक का नाम	**खाता सं0**	**राशि**
पी0एन0बी0 नग्गर	2705001000531688	971282.33
पी0एन0बी0 नग्गर	2705000400958594	3807.75
के0सी0सी0बी0 नग्गर	20077008321	827686.00
		₹1802776.08

(2) 14वाँ वित्तायोग रोकड़ बही

बैंक का नाम	**खाता सं0**	**राशि**
के0सी0सी0बी0	27050065100735	3182543

6 अनुदान ₹40.03 लाख का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत नथान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है, का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2018 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹4003261 की राशि शेष दर्शाई गई है जिससे प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग समय सीमा क भीतर नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओ से आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ा है। अतः प्राप्त अनुदान की राशियों का उपयोग समय सीमा के भीतर न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा दिनांक 31.3.2018 को जिन अनुदानों को खर्च करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली जानी सुनिश्चित करें तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

7 (क) पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹0.67 लाख की वसूली हेतु शेषः–

ग्राम पंचायत नथान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है, का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा गृहकर के रूप में दिनांक 31.3.2018 को ₹66780 की राशि वसूली हेतु शेष थी, जो चिरकाल से लम्बित चली आ रही है। अतः इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही करके लम्बित पड़ी गृहकर की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाऐं।

अंकेक्षणाधीन अवधि में गृहकर की शेष वसूली कर विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति योग्य राशि	कर में दी गई छूट	वसूली योग्य कुल राशि	प्राप्त की गई राशि	अन्तिम शेष
2015–16	76280	54800	–	131080	88850	42230
2016–17	42230	53800	–	96030	250	95780
2017–18	95780	110600	2400	203980	137200	66780

(ख) गृहकर में ₹2400 की दी गई छूट बारे स्पष्टीकरणः–

संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "घ–1"** में दिया गया है, का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017–18 में गृहकर वसूली के दौरान ₹2400 की छूट दी गई है जिसका औचित्य विहित नियमो के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाए अन्यािा अनियमित रूप से दी गई छूट की वसूली उचित स्त्रोत से करके ग्राम पंचायत निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 मोबाईल टावर शुल्क ₹0.49 लाख की वसूली शेषः–

ग्राम पंचायत नथान द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 72 दिनाँक 29.7.2018 के प्रतिउार में अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ"** में दिया गया है, का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थापित विभिन्न मोबाईल कम्पनियों के मोबाईल टावर शुल्क की दिनांक 31.3.2018 को ₹48500 की राशि वसूली हेतु शेष थी जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न लिखित हैः–

	मोबाईल कम्पनी का नाम	दिनाँक 31.3.2018 को शेष राशि (₹)
1	ATC Tower Voda Corporatio -LTD	2500
2	Reliance Com. P.LTD	26500
3	AirCell	19500
	योग	₹48500

अतः उपरोक्त मोबाईल टावर शुल्क की वसूली हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 34 (2) में किये गये प्रावधानानुसार शेष राशि की वसूली यथासमय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब सम्बन्धित मोबाईल कम्पनियों से आवश्यक पत्राचार करके शेष राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाएं।

9 स्थानीय मेले के दौरान दुकानदारों से तहबाजारी शुल्क की वसूली न करने बारेः–

ग्राम पंचायत नथान द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 71 दिनांक 29.7.2018 के उत्तर में उपलब्ध करवाये गये स्पष्टीकरण के अनुसार गांव स्तर पर आयोजित मेलों में लगाई गई दुकानों से तहबाजारी शुल्क की वसूली गाँव कमेटी द्वारा की जाती है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 की उप धारा 3 के अनुसार मेलों में दुकानदारों से तहबाजारी शुल्क की वसूली करने हेतु केवल ग्राम पंचायतों को ही अधिकृत किया गया था तथा गाँव कमेटी इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं है। अतः ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से पंचायत क्षेत्र मतें आयोजित मेलों के दौरान लगाई गई दुकानों से तहबाजारी शुल्क की वसूली पंचायत स्तर पर न करके गाँव कमेटी से करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में मेलों के दौरान लगाई गई दुकानों से तहबाजारी शुल्क की वसूली पंचायत स्तर पर करके प्राप्त राशि को पंचायत निधि में जमा करवाकर अनुपालना की पुष्टि अगले अंकेक्षण पर करवाई जाए।

10 रसीद बुकों के रख–रखाव सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत नथान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय से प्राप्त रसीदों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत नथान द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 13 (5) मं वर्णित, प्रावधानानुसार प्रारूप–4 में जिला पंचायत अधिकारी से प्राप्त रसीदों का लेखाँकन एवं रख–रखाव नहीं किया है जिसके अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि संस्था द्वारा जिला पंचायत

अधिकारी कार्यालय से कितनी रसीद बुकें प्राप्त की गई व कितनी रसीद बुकों को प्रयोग में लाया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित नही किया जा सका कि अंकेक्षणाधीन अवधि में प्रयोग की गई रसीद बुकों के माध्यम से प्राप्त समस्त राशियों का लेखाँकन रोकड़ बही में किया जा चुका है या नहीं। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अविलम्ब नियमानुसार रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर का रख–रखाव किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आँकलन, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ तथा माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ न दर्शाने बारेः–

ग्राम पंचायत नथान के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में निष्पादित निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, आँकलन प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ व उनके इन्द्राज सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में नहीं दर्शाये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त माप पुस्तिका रजिस्टर का भी रख–रखाव नहीं किया जा रहा था। अतः उपरोक्त अभिलेख का रख–रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख पूर्ण करके अगले अंकेक्षण पर दिखाया जाना सुनिश्चित करें।

12 तकनीकी अधिकारी की सत्यापना के बिना मजदूरी का भुगतानः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से आँकलन (Assessment) करवाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाता है लेकिन ग्राम पंचायत नथान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में उपस्थिति नामावली बिलों का भुगतान सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के सत्यापना के बिना किया गया। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही मजदूरी का भुगतान किया जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.51 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित क्रयः–

भुगतान से सम्बन्धित निम्नलिखित वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5) में किये गये प्रावधानानुसार निर्माण सामग्री खरीदने हेतु निविदाऐं आमन्त्रित नहीं की गई थी जिससे प्रतीत होता है कि संस्था द्वारा बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक दरों का लाभ नहीं उठाया गया है। अतः नियमों की उपेक्षा करके निम्नलिखित क्रय की गई निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय करने

का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कृत व्यय को एकल निविदा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

वा0सं0	दिनाँक	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय की गई सामग्री			
			मद	दर	मात्रा	राशि
139	7.5.15	पुने राम	पत्थर	10 cum 1500	1500 10 cum	1500
149	23.8.15	–	पत्थर	1400	22 ट्रेक्टर	30800
41 व 42	24.6.16	देवराज	पत्थर	933	4.5 cum	4198
			पत्थर	800	2.3 cum	1840
				योग		**₹51838**

14 ₹0.58 लाख की निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित प्रस्तुत न करना:–

स्टॉक रजिस्टरों की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित बिल/वाउचरों के माध्यम से क्रय की गई निर्माण सामग्री के इन्द्राज सम्बन्धित रजिस्टरों में नहीं किये है जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय की गई प्रत्येक सामग्री का इन्द्राज तुरन्त सम्बन्धित रजिस्टरों में किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना न करके सामग्री के इन्द्राज सम्बन्धित अभिलेख में न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा क्रय की गई निर्माण सामग्री का इन्द्राज स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों में करके उसकी खपत का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 70 में किये गये प्रावधानानुसार तैयार करके कृत कार्यवाही की अनुपालना की पुष्टि आगामी अंकेक्षण पर करवाई जाए।

वा0सं0	दिनाँक	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय की गई सामग्री का विवरण			
			नाम	मात्रा	दर	राशि (₹)
139	7.5.15	पुने राम	पत्थर	10 cum	1500	15000
149	23.8.15	पुने राम	पत्थर	22 ट्रेक्टर	1400	30800
40	10.5.16	मै0 जसवाल बिल्डिंग मैटिरियल स्पालायरज कुल्लू	बजरी रेत	20.48 cum 22.86 cum	160 160	3277 3658

41	24.6.16	देवराज	पत्थर	4.5 cum	933	4198
42	24.6.16	देवराज	पत्थर	2.3 cum	800	1840
					योग	**₹58773**

15 स्त्रोत पर आयकर ₹3086 की कटौती न करने बारेः—

ग्राम पंचायत नथान के अंकेक्षणाधीन अवधि में किये गये भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा संविदाकारों को ₹30000 या इससे अधिक किये गये भुगतान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (सी) के अन्तर्गत निर्धारित दर से आयकर की वसूली निम्नविवरणानुसार नहीं की है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए।

वा0सं0	**निविदाकार का नाम**	**भुगतान की गई राशि (₹)**	**आयकर की दर**	**वसूल न की गई राशि (₹)**
141/10.5.15	मै0 चामुण्डा स्टोन क्रैसर कुल्लू	44904	2%	898
142/17.5.15	—यथोपरि—	44904	2%	898
145/10.5.15	—यथोपरि—	33678	2%	674
149/23.8.15	—यथोपरि—	30800	2%	616
			कुल राशि	**₹3086**

16 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

ग्राम पंचायत नथान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया जबकि हिमाचल प्रदेश पंचयती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान को स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करने हेतु अधिकृत किया गया है तथा स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन कम से कम छः माह में एक बार करवाया जाना अपेक्षित था। अतः नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त प्रावधानानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की अनुपालना से अगले अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

17 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** इसे अलग से जारी नहीं किया है।

18 **निष्कर्षः—** लेखों के रख—रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(3) 34/18 खण्ड—1—8031—8034 दिनांक 01.12.18 शिमला—09
प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 सचिव, ग्राम पंचायत नथान, विकास खण्ड नग्गर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 कसुम्पटी, शिमला 171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620881